फर्द अहकाम
(नियम 26)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
चुनाराम पुत्र पेमाराम जाति भील निवासी वेनपुरा तहसील बाली वगैरा		राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/ 82
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
20/2/25	तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम खीमेल स्थित भूमि खसरा नंबर 772, 776, 77/2 कुल खसरा 03 कुल रकबा 8.2600 हैक्टर कुल लगान 126.5600 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, खीमेल एवं निरीक्षक भू0अ0 मौखमपुरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.) 20/2/25 सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश बिश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
कुनाराम पुत्र पेमाराम जाति भील निवासी वेनपुरा तहसील बाली वगैरा		राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

<u>किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/</u>
<u>वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कताई रूबरू हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिब मुद्दई व .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम खीमेल स्थित भूमि खसरा नंबर 772, 776, 77/2 कुल खसरा 03 कुल रकबा 8.2600 हैक्टर के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनिध्यम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, गुडालास एवं निरीक्षक भू0अ0 गौखमपुरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20/1/25 को जारी की गई।

(दिनेश बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

CamScanner

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 07/01/2025 01:10:26 PM

जिला : पाली | तहसील : बाली | भू. अ. नि. क्षेत्र : मोखमपुरा

पटवारी हल्का : खीमेल | ग्राम : खीमेल

खसरा संख्या :777/2 क्षेत्रफल : 6.8600 Hect खाता संख्या : 534पुराना खाता संख्या :538

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: चाही दोयम [1.4800, 47.36], जाव दोयम [5.3800, 59.18]

1.) चुनाराम पुत्र पेमाराम हिस्सा- 2/9 जाति- भील सा. वेनपुरा खातेदार

2.) नेनाराम पुत्र लकाराम हिस्सा- 1/3 जाति- मीणा मकान संख्या- NA, कॉलोनी- बोया, क्षेत्र/स्थान- बोया, शहर- बोया, पिन कोड- 306701, ज़िला - PALI,राज्य- RAJASTHAN खातेदार

3.) प्यारी पुत्री पेमाराम हिस्सा- 1/9 जाति- भील सा. वेनपुरा खातेदार

4.) मांगीलाल पुत्र पेमाराम हिस्सा- 2/9 जाति- भील सा. वेनपुरा खातेदार

5.) सुमटी पुत्री पेमाराम हिस्सा- 1/9 जाति- भील सा. वेनपुरा खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

पटवारी (भू.अ.)

पटवार मण्डल ...., जिला-पाली (राज.)

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

तहसीलदार (भू.अ.) बाली